

(21)

राजस्थान विन्त निगम
उद्योग भवन, तिलक मार्ग
जयपुर

क्रमांक आरएफसी/पीजी-1/222/4164/ दिनांक 10.01.2002
15

परिपत्र
=====

विषय: विवादित विषय वस्तु पर
टिप्पणी / पत्राचार बाबत.

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक क्र.क-3 विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1/111/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 29.9.2001 की प्रति इस पत्र के पिछले भाग में अंकित कर निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी परिपत्र में उल्लेखित मामलों में अपनी टिप्पणी / पत्राचार अपचारी अधिकारी के तदर्थी में नहीं करें। इस प्रकार की टिप्पणी / पत्राचार अनाधिकृत माना जायेगा तथा संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध इसे दुराचरण मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

के. सी. गुप्ता
अध्यापक निदेशक एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि-

- 1- समस्त शाखा प्रबंधक / क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक.
- 2- मुख्यालय में स्टैंडर्ड सर्कुलेशन.

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

(25)

क्रमांक प.1(111)कार्मिक/क-3/2001

जयपुर, दिनांक- 29 SEP 2001

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर

5856
27 OCT 2001

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि किसी राज्य सेवक के विरुद्ध उसके द्वारा की गई अनियमितता एवं दुराचरण के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रभाव प्रस्तुत किए जाने अथवा आरोप पत्र इत्यादि जारी होने के उपरान्त अधिकारीगण द्वारा अपने पदों से स्थानान्तरण के बाद भी अथवा पूर्ववत् पद पर बने रहते हुए बिना अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्देशों के, स्वेच्छा से और अनाधिकृत रूप से आरोप पत्र में विवाचित विषयवस्तु पर टिप्पणियों/पत्राचार/प्रमाण-पत्र इत्यादि अपचारी राज्यसेवक को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से अभिलेखित/प्रसारित करते हैं जबकि इसकी कोई अपेक्षा प्राधिकारी द्वारा उनसे नहीं की जाती है।

इस प्रकार अधिकारीगण की यह कार्यवाही पूर्ण रूप से अनाधिकृत होती है। इसका विपरीत प्रभाव जॉच कार्यवाही पर पड़ता है और संबंधित राज्यसेवक गण इस प्रकार के अनाधिकृत पत्राचार का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अपचारी अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिट याचिका/अपील के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में भी उसे इस प्रकार के पत्राचार से सहायता प्राप्त होती है तथा राज्य सरकार/विभाग के समक्ष विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी अधिकारीगण इस प्रकार के मामलों में अपनी टिप्पणी/पत्राचार अपचारी अधिकारी के संबन्ध में नहीं करेंगे। इस प्रकार की टिप्पणी/पत्राचार अनाधिकृत माना जावेगा तथा संबंधित अधिकारीगण के विरुद्ध इसे दुराचरण मानते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

शासन सचिव
22/09/2001